राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] तेरहवीं विधान सभा के नवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

बुधवार

10 अक्टूबर, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

अनुपस्थिति अनुमति

बीना काक, श्रीमती, सदस्य को 10 अक्टूबर, 2012 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती बीना काक, सदस्य, विधान सभा ने अपरिहार्य पारिवारिक व्यस्तता के कारण दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सचिव के पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपके असामान्य अधिकार हैं।

श्री अध्यक्ष: आप जानते हो तो फिर काहे के लिये खड़े हुए हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन कुछ सामान्य अधिकार हैं जो आपके पास नहीं हैं, और तो असामान्य सारे अधिकार हैं।

अध्यक्ष महोदय, सचिव विधान सभा में राजस्थान हायर जुडीशियरी सर्विस के आदमी आते हैं। यद्यपि आपने नियमों में संशोधन कर रखा है और नियमों में संशोधन करके आपने यह लिख लिया है कि जो भी सचिव का काम करे वह सचिव है, लेकिन इसके हिसाब से आप हमारे किसी भी कर्मचारी को या अधिकारी को विधान सभा का सचिव नहीं बना सकते। कुछ समय के लिये, आपातकाल के लिये आपको कोई काम करना हो, कोई बीमार हो जाए तो डिप्टी सैक्रेटरी है, एडिशनल सैक्रेटरी हैं, उनको आप सचिव का काम करने के लिये कह दें, वह बात तो ठीक है। विधान सभा में सचिव नहीं है, डिप्टी सैक्रेटरी रिटायर हो गये हैं, यह रिटायर्ड सज्जन हैं, बहुत जानकार हैं इनके, लेकिन उनको विशेषाधिकारी बनाकर और विशेषाधिकारी को आप सचिव बनाएं और सचिव से फिर सदन के पटल पर रखवाएं, यह सर्वथा अनुचित है। यह परम्परा, अध्यक्ष महोदय, आप जो पढ़ रहे हैं वह मैं पढ़ देता हूं, मुझे कंठस्थ है कि सचिव से तात्पर्य उस व्यक्ति का है जो सचिव का काम कर रहा हो। यही लिखा है आपने, मुझे तो ध्यान है, मुझे तो कंठस्थ है यह सारी की सारी। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह जो आज की व्यवस्था है, वह व्यवस्था उचित नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इन कुछ पदों की मर्यादाओं का हमको ध्यान रखना चाहिये। मैं इनको रखने से नहीं रोक रहा हूं, मैं सिर्फ आपके ध्यान में ला रहा हूं कि इन पदों की मर्यादाओं की रक्षा करने का हमारा काम है और धीरे-धीरे अगर क्षरण होगा तो हमारे लिये उचित नहीं होगा।

व्यवस्था

सचिव का तात्पर्य कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उस समय सचिव का कार्य कर रहा हो

श्री अध्यक्ष: वैसे तो, माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, विधान सभा के कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रश्न विधान सभा में नहीं उठाना चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह कार्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं। नियमों में यह स्पष्ट उल्लेख आपने भी देखा है, सचिव का तात्पर्य सभा के सचिव से और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उस समय सचिव का कार्य कर रहा हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो आप सड़क से लाकर किसी को भी बैठा दोगे?

श्री अध्यक्ष: सड़क से नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और क्या है ?

श्री अध्यक्ष: जो कार्य कर रहा हो आलरैडी ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ये विशेषाधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी व्यवस्था को रिजैक्ट करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है, आप करें।

श्री अध्यक्ष: विशेषाधिकारी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

विशेषाधिकारी, विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

(अ) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011

(ब) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1- राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012

2- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012

(विशेषाधिकारी)

3- राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2012
4- राजस्थान वित्त विधेयक, 2012
5- राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012
6- अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
7- गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012
8- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, (जोधपुर संशोधन) विधेयक, 2012
9- महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
10- राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012
11- वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
12- कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012
13- राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012
14- जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
15- संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012
16- राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012
17- पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
18- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012
19- राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012
20- राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012
21- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012

अध्यादेश

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012

श्री अध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-04) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :-

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012

1- महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-02) ;

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012

2-कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-03) ;

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012

3-मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-05) ;

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अध्यादेश, 2012

4-बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-06) ;

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश, 2012

5-शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-07) ;

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012

6-डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-08) ;

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2012

7-राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-09) ;

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2012

8-सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-10) ; एवं

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012

9- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-11).

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इतने अध्यादेश एक साथ आये, आप सरकार को यह पूछ सकते हैं कि जब सत्र आ रहा था तो इन अध्यादेशों के जारी करने के क्या कारण थे। ऐसी कौनसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई थीं, जब सदन आ ही रहा था तो सरकार को इतने अध्यादेश जारी करने पड़े? यह सरकार या तो हाई कोर्ट के आदेश से चलती है या अध्यादेश से चलती है, सदन को चलाना नहीं चाहती है। इसलिए सदन की गरिमा को तो आप बचाएं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री अध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रकिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, डा. दयाराम परमार।

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्याक-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय विधेयक, डा. दयाराम परमार।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के

(डा. दयाराम परमार)

अन्तर्गत हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-11) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012, डा. दयाराम परमार।

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, विधेयक पुर:स्थापित हो रहा है, बड़े स्वागत की बात है परन्तु दु:ख इस बात का है, भरतपुर में महाराजा सूरजमल के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित होना था...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): महाराजा सूरजमल जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस सरकार को उनसे क्या एलर्जी है?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रकिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012, डा. दयाराम परमार।

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रकिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-8) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012, डा. दयाराम परमार।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इससे पहले कि यह बात सामने रखें, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, शेखावाटी शब्द आपने लिया कहां से? जिस महापुरुष के नाम से शेखावाटी है...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जिस पुरुष के नाम से शेखावाटी, महाराज गंगासिंहजी के नाम से आप कर सकते हैं लेकिन आदिपुरुष जो 700 वर्ष पहले हुआ, जिसका अपना एक चरित्र है, महाराज शेखा शब्द आप इसके साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? महाराज शेखा शेखावाटी विश्वविद्यालय क्यों नहीं लगाना चाहते आप इसके साथ?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय मंत्रीजी। अभी इन्ट्रोडक्शन की स्थिति है, जब चर्चा हो तब आप बोलने का अवसर लेकर अपनी बात कहें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप सर्वोपरि हैं, इन्ट्रोडक्शन पर ही करैक्शन हो जाए तो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तब आप अपनी बात कह सकते हैं, अभी तो इन्ट्रोडक्शन है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अमैंडमेंट तो कर ही दूंगा।

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आगे चर्चा होगी तब फरमाना आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-7) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012, डा. दयाराम परमार।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय

(डा. दयाराम परमार)

विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012, डा. दयाराम परमार।

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

(डा. दयाराम परमार)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012.

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012, डा. दयाराम परमार।

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

निलम्बन निरस्तीकरण

हनुमान बेनीवाल, श्री, सदस्य के निलम्बन का निरस्तीकरण

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को सदन ने पारित प्रस्ताव के द्वारा खींवसर, नागौर से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल को सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के अपमान एवं अवमानना के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किया था। इस सदन की उच्च एवं गौरवशाली परम्परा रही है, फिर भी विगत में अनेक अवसर ऐसे आये हैं जब सदन में अनुशासन बनाये रखने एवं प्रक्रिया नियमों की पालना हेतु सदस्यों को निलम्बित करने सम्बन्धी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिये गये हैं। लेकिन इसी के साथ ही पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन आकांक्षा के अनुरूप कार्य करे तथा इस सदन की गौरवशाली परम्पराएं अक्षुण्ण यथावत बनी रहें, इस हेतु पूर्व में भी निलम्बन काल की अवधि को समय पूर्व समाप्त किया गया है। अत: पूर्व परम्पराओं को दोहराते हुए मैं यह प्रस्ताव सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं कि माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल के अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): क्या कर रहे हैं आप? (व्यवधान) मंत्री को गालियां निकाली हैं उन्होंने।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन को समाप्त करने सम्बन्धी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

निलम्बन समाप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए गुजरात के पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक श्री नवल किशोर शर्मा, उत्तर प्रदेश एवं ओडीशा के पूर्व राज्यपाल श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी, सिक्किम एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री केदारनाथ साहनी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री श्री विलासराव देशमुख, राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री श्री भंवरसिंह डांगावास एवं श्री मान्धाता सिंह तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मोहनलाल बारूपाल, श्री यशवन्त सिंह 'रामू', विष्णु प्रकाश बजारी एवं श्री इन्द्रसिंह शेखावत के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

नवल किशोर शर्मा, श्री, पूर्व राज्यपाल, गुजरात

गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री नवल किशोर शर्मा का जन्म 5 जुलाई, 1925 को दौसा में हुआ। आपने साहित्य विशारद्, हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा बी.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री नवल किशोर शर्मा ग्यारहवीं विधान सभा में जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति के सभापति रहे। अपने दीर्घ संसदीय जीवन में आप चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं एवं ग्यारहवीं लोक सभा में सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति के सदस्य तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति एवं कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति के सभापति रहे। आप केन्द्रीय सरकार में वित्त, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रहे। श्री शर्मा 24 जुलाई, 2004 से 29 जुलाई, 2009 तक गुजरात के राज्यपाल पद पर आसीन रहे।

(श्री अध्यक्ष)

सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में नगरपालिका बोर्ड, दौसा के चेयरमैन, पंचायत समिति, दौसा के प्रधान, अखिल भारतीय खादी आयोग एवं राजस्थान राज्य योजना बोर्ड के सदस्य तथा नेशनल एग्रीकल्चरल फैडरेशन आफ इण्डिया तथा आल इण्डिया खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री शर्मा ने संगठन में राष्ट्रीय महा सचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन किया।

गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रहे श्री शर्मा आदिवासियों के उत्थान, अस्पृश्यता निवारण एवं खादी व ग्रामोत्थान के क्षेत्र में सक्रिय रहे। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले श्री शर्मा ने 'सोशलिस्ट इण्डिया' एवं 'सोशलिस्ट भारत' का सम्पादन किया। आप हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के स्तम्भकार भी रहे।

श्री नवल किशोर शर्मा का दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया।

बी. सत्यनारायण रेड्डी, श्री, पूर्व राज्यपाल, ओडीशा

उत्तर प्रदेश एवं ओडीशा के पूर्व राज्यपाल श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी का जन्म 21 अगस्त, 1927 को आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के अन्नाराम ग्राम में हुआ। आपने बी.ए; एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी वर्ष 1978 से 1984 तथा 1984 से 1990 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। श्री रेड्डी फरवरी, 1990 से मई, 1993 तक उत्तर प्रदेश तथा जून, 1993 से जून, 1995 तक ओडीशा के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। ओडीशा के कार्यकाल के दौरान आपके पास जुलाई से अगस्त, 1993 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा।

14 वर्ष की आयु में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में सक्रिय हुए श्री रेड्डी ने 1947 में हैदराबाद जन आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव तथा जय प्रकाश नारायण की विचारधारा से प्रभावित रहे श्री रेड्डी ने 'समाजवादी आन्दोलन' में भाग लिया तथा तत्कालीन नाजिम शासन के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन किया। आपने 'भूदान आन्दोलन' में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री रेड्डी हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट की बार एसोसियेशन के महासचिव तथा हैदराबाद छात्र संघ की एक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे। आप

(श्री अध्यक्ष)

तेलंगाना प्रजा समिति के चेयरमैन, समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी समिति के महा सचिव तथा जनता पार्टी की राज्य इकाई के महा सचिव रहे। आप लोक दल के राष्ट्रीय महा सचिव भी रहे।

कई बार जेल यात्राएं करने वाले भी रेड्डी ने कैदियों के लिये साप्ताहिक पत्रिका 'पयाम-ए-नव' की शुरूआत की तथा आप इसके सम्पादक भी रहे।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी का दिनांक 6 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया।

केदारनाथ साहनी, श्री, पूर्व राज्यपाल, गोवा

सिक्किम एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री केदारनाथ साहनी का जन्म 24 अक्टूबर, 1926 को पाकिस्तान के रावलपिण्डी में हुआ।

श्री केदारनाथ साहनी मई, 2001 से अक्टूबर, 2002 तक सिक्किम तथा अक्टूबर, 2002 से जुलाई, 2004 तक गोवा के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। वर्ष 1967 में दिल्ली महानगर निगम की स्थायी समिति के सभापति रहे श्री साहनी वर्ष 1977 में इसके मुख्य कार्यकारी पार्षद बने। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री साहनी दिल्ली महानगर निगम के उप महापौर तथा वर्ष 1972 से 1975 तक महापौर भी रहे।

कुशल प्रशासक रहे श्री साहनी ने शासकीय नीतियों के क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ता रहे श्री साहनी जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी से भी सम्बद्ध रहे।

श्री केदारनाथ साहनी का दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया।

विलासराव देशमुख, श्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री श्री विलासराव देशमुख का जन्म 26 मई, 1945 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के बाभलगांव में हुआ। आपने बी.एससी; बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री विलासराव देशमुख वर्ष 1980 से 1995 तथा 1999 से 2009 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप वर्ष 1982 से 1985 तक

(श्री अध्यक्ष)

तथा 1986 से 1995 तक महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री देशमुख अक्टूबर, 1999 से जनवरी, 2003 तथा नवम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2008 तक महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। मुख्य मंत्री के रूप में आपने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा के आधुनिकीकरण तथा भारतीय उद्योग के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में अनेक कार्यक्रम आरम्भ किये।

कुशल संसदविद् श्री देशमुख अगस्त, 2009 से अप्रैल, 2012 तथा पुनः वर्ष 2012 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। आप वर्तमान केन्द्रीय सरकार में लघु एवं मध्यम उद्योग, विज्ञान एवं तकनीकी तथा भू-विज्ञान मंत्री थे। श्री देशमुख वर्ष 2009 से 2011 तक केन्द्रीय सरकार में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम तथा वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भी रहे।

श्री विलासराव देशमुख का दिनांक 14 अगस्त, 2012 को निधन हो गया।

भंवर सिंह डांगावास, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह डांगावास का जन्म 7 जून, 1929 को नागौर जिले के डांगावास ग्राम में हुआ। आपने महाराज कुमार कालेज, जोधपुर से इन्टरमीडियेट की शिक्षा प्राप्त की।

श्री भंवर सिंह डांगावास दसवीं तथा बारहवीं राजस्थान विधान सभा में मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति एवं प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य तथा पुस्तकालय समिति के सभापति रहे। आप वर्ष 1994 में गठित पेयजल समस्या समाधान समिति के सदस्य भी रहे। श्री डांगावास जुलाई से नवम्बर, 1998 तक राजस्थान सरकार में भू-जल एवं गृह विभाग के राज्य मंत्री रहे। इस अवधि में आपके पास भू-जल विभाग का स्वतंत्र प्रभार रहा। चौदहवीं लोक सभा के लिए नागौर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के उपरांत आपने 25 मई, 2004 को बारहवीं विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। लोक सभा में आप जल संसाधन समिति के सदस्य रहे।

राजनीति में आने से पूर्व श्री डांगावास ने पुलिस विभाग में उप निरीक्षक, निरीक्षक, उप-अधीक्षक एवं अपर अधीक्षक आदि पदों के दायित्वों का

(श्री अध्यक्ष)

निर्वहन किया। दीर्घ शासकीय सेवाकाल के दौरान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक, भारत-पाक युद्ध के लिए समर सेवा स्टार आदि पदकों से सम्मानित किया गया। श्री डांगावास वर्ष 1994 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री भंवर सिंह डांगावास का दिनांक 2 जुलाई, 2012 को निधन हो गया।

मान्धाता सिंह, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री श्री मान्धाता सिंह का जन्म 14 मई, 1935 को अजमेर में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मान्धाता सिंह नौवीं राजस्थान विधान सभा के लिए भीम निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्रीय विकास, राज्य बीमा एवं भू-जल विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप नवम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रहे। आपके पास कृषि, विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि तथा भू-जल विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा।

श्री मान्धाता सिंह वर्ष 1965 से 1987 तक देवगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भी रहे।

श्री मान्धाता सिंह का दिनांक 27 सितम्बर, 2012 को निधन हो गया।

मोहनलाल बारूपाल, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री मोहनलाल बारूपाल का जन्म 15 फरवरी, 1934 को नागौर जिले के डेह ग्राम में हुआ। आपने इन्दौर के जसवंतराय माध्यमिक विद्यालय से मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मोहनलाल बारूपाल आठवीं, नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में जायल सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप आठवीं विधान सभा में लोक दल, नौवीं विधान सभा में जनता पार्टी तथा दसवीं एवं

(श्री अध्यक्ष)

ग्यारहवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

समाज सेवा तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे श्री बारूपाल नागौर जिले के कई अनुसूचित जाति छात्रावासों के संस्थापक सदस्य तथा अध्यक्ष रहे।

श्री मोहनलाल बारूपाल का दिनांक 12 अगस्त, 2012 को निधन हो गया।

यशवन्त सिंह 'रामू', श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री यशवन्त सिंह 'रामू' का जन्म 5 मार्च, 1970 को भरतपुर में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री यशवन्त सिंह 'रामू' ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में नदबई निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री 'रामू' विधान सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री यशवन्त सिंह 'रामू' का दिनांक 22 मई, 2012 को निधन हो गया।

विष्णु प्रकाश बजारी, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री विष्णु प्रकाश बजारी का जन्म 13 मई, 1947 को अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे में हुआ। आपने सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर से इंटर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी सातवीं राजस्थान विधान सभा में ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा स्वायत्त शासन, नगर आयोजन, जन-सम्पर्क विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री बजारी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1969 से 1979 तक

(श्री अध्यक्ष)

ब्यावर नगरपालिका के सदस्य, दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय के सचिव तथा फाइनेंस कमेटी (पब्लिक वर्क्स) के चेयरमैन रहे। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर तथा ब्यावर शहर का मास्टर प्लान बनाने हेतु गठित सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

शिक्षा प्रसार से सम्बद्ध रहे श्री बजारी युवक कांग्रेस तथा अजमेर जिला देहात कांग्रेस के महामंत्री रहे।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी का दिनांक 13 जून, 2012 को निधन हो गया।

इन्द्र सिंह शेखावत, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री इन्द्र सिंह शेखावत का जन्म 23 जनवरी, 1925 को झुन्झुनूं जिले के पौंख ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री इन्द्र सिंह शेखावत छठी राजस्थान विधान सभा में गुढा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

खेलकूद में रुचि रखने वाले श्री शेखावत समाज सुधार के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे।

श्री इन्द्रसिंह शेखावत का दिनांक 18 मई, 2012 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

आन्ध्र-प्रदेश रेल हादसे के मृतक

दिनांक 30 जुलाई, 2012 को आन्ध्र-प्रदेश के नेल्लोर स्टेशन के पास तड़के करीब 4.30 बजे दिल्ली से चेन्नई जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई। इस दु:खद दुर्घटना में बच्चों एवं महिलाओं सहित 32 लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गये।

मैं इस रेल हादसे में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

मानतीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.35 बजे गुरुवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)